न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 244 सन 2020

अनवान :–

1. नाहरसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बलवन्त सिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. छतुसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत साकिन जबरासर तहसील नोहर
3. देवीसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. मोहब्बतसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. किशनसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्रसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. सुगना पत्नी मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. बिन्दुकंवर पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. अनिता कवर पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. उदयसिह पुत्र भवरीदेवी पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मदनसिह पुत्र भवरीदेवी पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 31/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 308/303 की कुल 27.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के देहान्त होने पर वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री भवरीदेवी के पुत्र है क्योकि भवरीदेवी का देहान्त हो चुका है।

वादी के पिता मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ता 11 है जो मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की माता /बहने एव मृतक बहन के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो मनफुलसिह के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 308/303 की कुल 27.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के देहान्त होने पर वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री भवरीदेवी के पुत्र है क्योकि भवरीदेवी का देहान्त हो चुका है।

वादी के पिता मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवाद्दी संख्या 1 ता 11 है जो मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की माता /बहने एव मृतक बहन के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 308/303 की कुल 27.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 रोही मौजा जबरासर के अनुसार वाद भूमि मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी के पिता मनफुलसिह

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पुत्र भोपालसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है अर्थात मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 308/303 की कुल 27.0120हैक भूमि जो मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 कुल 24.988हैक भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष 2.0240हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नाहरसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बलवन्त सिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. छतुसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत साकिन जबरासर तहसील नोहर
3. देवीसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. मोहब्बतसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. किशनसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्रसिह पुत्र मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. सुगना पत्नी मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. बिन्दुकंवर पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. अनिता कवर पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. उदयसिह पुत्र भवरीदेवी पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मदनसिह पुत्र भवरीदेवी पुत्री मनफुलसिह जाति राजपुत निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 244 सन 2020 निर्णय दिनांक– 31/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 308/303 की कुल 27.0120हैक भूमि जो मनफुलसिह पुत्र भोपालसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 कुल 24.988हैक भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा शेष 2.0240हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner